

**न्यायालय-दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
तहसील बैहर, जिला-बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्रक.क्रमांक-767 / 2014  
संस्थित दिनांक-22 / 08 / 2014  
फाई.नं.-234503004682014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-रूपझर,  
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **अभियोजन**

**// विरुद्ध //**

1. पवन पिता जयसिंह गोंड उम्र 36 वर्ष निवासी-नारंगी  
चौकी उकवा थाना रूपझर जिला बालाघाट (म.प्र.)
2. दुर्गाबाई पति पवन गोंड उम्र 30 वर्ष निवासी-नारंगी  
चौकी उकवा थाना रूपझर जिला बालाघाट (म.प्र.)

— **अभियुक्तगण**

**// निर्णय //**

**(आज दिनांक-16/01/2018 को घोषित)**

1- अभियुक्तगण पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 447, 324/34, 506 भाग-2 का आरोप है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक-23/07/2014 को दोपहर के 3:00 बजे स्थान फरियादिया का आंगन ग्राम नारंगी चौकी उकवा थाना रूपझर के अन्तर्गत लोक स्थान पर फरियादिया दुर्गाबाई नेताम को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व अन्य दूसरे सुनने वालों को क्षोभ कारित कर फरियादिया के मकान के आंगन में अवैध रूप से प्रवेश कर आपराधिक अतिचार कारित कर सह अभियुक्त के साथ मिलकर फरियादिया को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर, उस सामान्य आशय के अग्रसरण में आहत/फरियादिया के साथ हाथ मुक्के से एवं बैलगाड़ी की उभारी से दाहिने हाथ की भुजा पर, पीट में दाहिने तरफ मारकर उवेच्छया उपहति कारित कर, फरियादिया को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2- प्रकरण में अभियुक्तगण को राजीनामा के आधार पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 447, 506 भाग-2 के आरोप से दोषमुक्त किया है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324/34 राजीनामा योग्य नहीं होने से इस धारा में अभियुक्तगण पर प्रकरण का विचारण पूर्वतः जारी रखा गया था।

3— अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादिया दुर्गाबाई नेताम ने दिनांक 24.07.2014 को चौकी उकवा थाना रूपझर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि घटना दिनांक 23/07/2014 बुधवार के दिन की दोपहर 3:00 बजे की है। घटना के समय फरियादिया अपने घर पर बाहर आंगन में बैठी थी। उसी समय उसके घर के बाजू की दुर्गाबाई गालियां दे रही थी जो सुनने में बुरी लग रही थी। फरियादिया ने अभियुक्त दुर्गाबाई को गाली देने से मना किया था तो अभियुक्त दुर्गाबाई आयी थी और फरियादिया के बाल पकड़कर हाथ मुक्के से मारपीट करने लगी थी। तभी अभियुक्त दुर्गाबाई का पति पवन गोंड हाथ में बैलगाड़ी की उभारी लेकर आया था फरियादिया को गंदी गंदी गालियां देकर फरियादिया के दाहिने हाथ की भुजा में मार दी थी एवं दूसरी उभारी पीठ में दाहिने तरफ मारी थी जिससे फरियादिया को होल के निशान आ गये थे एवं दर्द होने लगा था। अभियुक्त पवन फरियादिया से कह रहा था कि साली मादरचोद को जान से खत्म कर देगा। तभी पड़ोस की विमलाबाई बीच बचाव करने आयी थी तो अभियुक्त पवन ने विमलाबाई के साथ भी हाथ मुक्के से छाती में मारपीट की थी। अभियुक्त दुर्गाबाई ने अभियुक्त पवन से विमलाबाई के दाहिने घुटने में काटने के लिए कहा था। घटना होते हुए सीमाबाई एवं देवेन्द्र गोंड ने देखी थी। पुलिस थाना रूपझर ने फरियादिया का मेडिकल परीक्षण कराकर फरियादिया की रिपोर्ट पर से अपराध क्रमांक-88/2014 का प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत न्यायालय में अभियोगपत्र प्रस्तुत किया था।

4— प्रकरण में अभियुक्तगण पर तत्कालीन पूर्व पीठासीन अधिकारी ने निर्णय के पैरा-1 में उल्लेखित धाराओं का आरोप विरचित कर अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया एवं समझाया था तो अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया था एवं विचारण चाहा था।

5— प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित है:-

1. क्या अभियुक्तगण ने घटना दिनांक-23/07/2014 को दोपहर के 3:00 बजे स्थान फरियादिया का आंगन ग्राम नारंगी चौकी उकवा थाना रूपझर के अन्तर्गत सह अभियुक्त के साथ मिलकर फरियादिया दुर्गाबाई नेताम को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर, उस सामान्य आशय के अग्रसरण में आहत के साथ हाथ मुक्के से एवं बैलगाड़ी की उभारी से दाहिने हाथ की भुजा पर, पीट में दाहिने तरफ मारकर उवेच्छया उपहति कारित की ?

### विवेचना एवं निष्कर्ष :-

6- दुर्गाबाई नेताम अ.सा.1, विमलाबाई अ.सा.02 का कथन है कि वह अभियुक्तगण को जानती हैं। घटना दिनांक 23.07.2014 की दिन के 3:00 बजे की है। उनका अभियुक्त पवन से साफ-सफाई की बात को लेकर विवाद हुआ था तभी दुर्गाबाई वहां पर आयी थी। अभियुक्त पवन के हाथ में लकड़ी थी। झूमा झटकी में साक्षीगण गिर गयी थीं। इस कारण साक्षीगण को चोट आयी थी। साक्षी दुर्गाबाई ने घटना की रिपोर्ट प्र.पी.01 पुलिस चौकी उकवा में की थी। पुलिस ने साक्षीगण से घटना के बारे में पूछताछ की थी। पुलिस ने घटनास्थल का मौकानक्शा तैयार किया था जो प्र.पी.02 है जिसके ए से ए भाग पर साक्षी दुर्गाबाई के हस्ताक्षर हैं। दोनों साक्षीगण से अभियोजन पक्ष द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षीगण ने उनकी साक्ष्य में अभियोजन पक्ष के प्रकरण की घटना का समर्थन नहीं किया है।

7- सीमाबाई अ.सा.03 का कथन है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से चार-पांच वर्ष पूर्व की दोपहर के समय की है। वह काम करके उसके घर पर आयी थी, तब दुर्गाबाई के पास झगड़े की आवाज सुनकर साक्षी घटनास्थल पर गयी थी। वहां पर अभियुक्तगण और दुर्गाबाई का विवाद हो रहा था। दुर्गाबाई जमीन पर गिर गयी थी। अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछने जाने पर साक्षी ने प्र.पी.05 के पुलिस कथन का ए से ए भाग को पुलिस को बताने एवं लिखाने से इंकार किया है। साक्षी ने उनकी साक्ष्य में घटना का समर्थन नहीं किया है।

8- दुर्गाबाई अ.सा.01 एवं विमलाबाई अ.सा.02 ने उनकी साक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि उनका अभियुक्तगण से राजीनामा हो गया है। राजीनामा हो जाने के कारण साक्षीगण ने उनकी साक्ष्य में घटना का समर्थन नहीं किया है। अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य को देखते हुए एवं राजीनामा होने के कारण अभियोजन पक्ष ने प्रकरण में अन्य किसी साक्षीगण की साक्ष्य नहीं कराई है। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रकरण में परीक्षित कराये गये साक्षीगण की साक्ष्य से अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर सहअभियुक्त के साथ मिलकर फरियादिया को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर, उस सामान्य आशय के अग्रसरण में

आहत/फरियादिया दुर्गाबाई नेताम के साथ हाथ मुक्के से एवं बैलगाड़ी की उभारी से दाहिने हाथ की भुजा पर, पीट में दाहिने तरफ मारकर स्वेच्छा उपहति कारित की थी। अतः अभियुक्तगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324/34 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

9- प्रकरण में धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे।

10- प्रकरण में अभियुक्तगण के जमानत-मुचलके भारमुक्त किये जावें।

11- प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति बैलगाड़ी की लकड़ी की उभारी अपील अवधी पश्चात विधिवत नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में मान्नीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(दिलीप सिंह)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, तहसील बैहर,  
जिला-बालाघाट

(दिलीप सिंह)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, तहसील बैहर,  
जिला-बालाघाट